

न्यायालय न्यायनिर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली
(कोटपूतली-बहरोड)

पीठासीन अधिकारी :- ओम प्रकाश सहारण (आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र संख्या:- 132/2024

रोशनलाल यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्या मुख्य चि. एवं स्वा अधिकारी, अलवर।

-आवेदक

बनाम

श्री संतराम पुत्र श्री रतिराम, उम्र 28 वर्ष (खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता) मैसर्स-श्री श्याम सरस एजेन्सी, भैन चौराहा, बहरोड, जिला रेवाड़ी, हरियाणा, निवासी ग्रा० रिवाली, पो० रिवाली, बहरोड।


-अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 (2) (ii), 26(2) (v)/धारा 51, 58 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011


निर्णय

दिनांक 29/4/24

1. यह कि मैं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 18.02.2024 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत था और मेरा गजट नोटिफिकेशन राजस्थान राजपत्र विशेषांक में दिनांक 09 मार्च 2023 के गजट भाग 1 (ख) के क्रमांक 09 पर अंकित है जिसके अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियों प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक आयुक्ता०/खासुऔनि/संस्था/2023/900 दिनांक 29.03.2023 के द्वारा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर का कार्य क्षेत्र आवंटित किया हुआ है और अलवर जिले के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र में आते हैं एवं राजस्थान राजपत्र के विशेषांक दिनांक 11/04/2012 के गजट भाग 2 (क) के द्वारा क्षेत्राधिकार प्रदान किया हुआ है। गजट नोटिफिकेशन, क्षेत्राधिकार नोटिफिकेशन एवं पदस्थापन कार्य क्षेत्र आवंटन आदेश की छायाप्रतियों न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।


अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड)


2. यह है कि दिनांक 18.02.2024 को सुबह 08:10 बजे मुस्तागीस बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौराने गश्त खाद्य पदार्थों की चैकिंग हेतु सामान नमूनीकरण बैग सहित जाँच दल के साथ मैसर्स श्री श्याम सरस ऐजेन्सी, मैन चौराहा, बहरोड पर पहुँचा। उक्त समय उक्त स्थल पर विक्रेता श्री संतराम पुत्र श्री रतिराम स्वयं मौजूद रहकर खाद्य पदार्थ घी (सरस) आमजन को बिक्री वास्ते रखे हुआ था। मैंने उक्त विक्रेता को अपना परिचय देकर एवं परिचय पत्र दिखाकर उनसे उनका नाम एवं पता पूछा जिस पर गवाहन श्री कुलदीप एवं श्री महिपाल की उपस्थिति में विक्रेता द्वारा अपना नाम श्री संतराम पुत्र श्री रतिराम, उम्र 28 वर्ष, निवासी-ग्रा० रिवाली, पो० रिवाली, बहरोड का होना बताया एवं स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया एवं मौके पर स्वयं के आधार कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। मैंने उक्त विक्रेता से खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र /रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर उक्त विक्रेता ने खाद्य पंजीयन पत्र जारी होना दिखाया एवं छायाप्रति प्रस्तुत की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
3. यह है कि उक्त स्थल का निरीक्षण करने पर निरीक्षण के दौरान उक्त डेयरी के गोदाम में रखी 1 किलो वजनी घी (सरस) के 20 पैकेट मूल कम्पनी पैक आमजन को बिक्री वास्ते रखे में मिलावट का शक होने पर गवाहन श्री कुलदीप एवं श्री महिपाल की उपस्थिति में विक्रेता श्री संतराम को जरिये फार्म नं. 5ए (जिस पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर एवं मेरे स्वयं के हस्ताक्षर हैं) सूचित करते हुए उक्त घी (सरस) में से 1 कि०ग्रा० वजनी के 4 पैकेट मूल कम्पनी पैक घी (सरस) को वास्ते नमूना जाँच हेतु एक साफ सूखी एवं खाली स्टील कि ट्रे में कय किया। जिसकी कीमत विक्रेता को रु 2292/- (अक्षरे बाईस सी बानवे रूपये मात्र) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर एवं मेरे स्वयं के हस्ताक्षर हैं। फार्म नं. कए एवं रसीद माल खरीद न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
4. यह है कि नमूना जाँच हेतु क्रय किये गये । कि०ग्रा० घी (सरस) के 4 मूल कम्पनी पैक को विक्रेता एवं गवाहन को चार जगह बांधकर चार नमूना भाग तैयार कर।
लेबल तैयार कर उन पर विक्रेता, गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर व मैंने स्वयं ने हस्ताक्षर कर प्रत्येक पैकेट पर चिपकाकर प्रत्येक पैकेट को अलग-अलग मोटे खाकी कागज में लपेटकर एवं किनारों को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाकर प्रत्येक पैकेट पर पेपर स्लिप कोड एवं सीरीयल नं. बी-19569 जो श्रीमान् डी. ओ. एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी अलवर द्वारा हस्ताक्षरित मेरे पास उपलब्ध थी, को चारों पैकेटों पर नीचे से उपर तक पूरे राउण्ड पर गोंद से चिपकाकर मोटे मजबूत धागे से बांधकर नियमानुसार 4-4 जगह उपर नीचे एवं दोनों साइडों पर सील चपड़ी कर प्रत्येक सील नमूने पर विक्रेता के हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लीप पर व आधे खाकी कागज पर आ गये एवं गवाहन व स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील नमूना भागो को अपने जाप्तों में लिया।
5. यह है कि मौके पर की गयी कार्यवाही की मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे विक्रेता गवाहन को पढाकर, सुनाकर उनके हस्ताक्षर करवाये एवं मैंने स्वयं ने हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।


 अति. जिमा कलक्टर
 कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड)

6. यह है कि शेष बचे 1 कि०ग्रा० घी (सरस) के 16 मूल कम्पनी पैक को एक कटटे में रखकर कटटे के मुँह को मोर्दे मजबूत धागे से बाधकर विक्रेता एवं गवाहन के समक्ष सील चपड़ी कर प्रारूप 2 एवं प्रारूप 3 भरकर सीज किया एवं उक्त विक्रेता की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा। उक्त प्रारूप 2 एवं 3 न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
7. यह है कि कार्यालय में उपस्थित होकर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार कर उन पर सील इम्पेशन उसी सील का लगाया जिसके द्वारा मौके पर नमूना सील मोहर किया था। नमूने की एक सील्ड पैकेट मय फार्म नं० 6 की प्रति के एक आउटर कवर में सील मोहर कर एवं फार्म नं. 6 की दो प्रति अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर श्रीमान् खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर नमूना जमा रसीद एवं फार्म नं. 6 की पुश्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
8. यह है कि नमूने की दो सील्ड पैकेट (द्वितीय व तृतीय भाग) को मय फार्म नं० 6 की दो प्रतियों के एक आउटर कवर में सील मोहर कर एवं नमूने की एक सील्ड पैकेट (चतुर्थ भाग) मय फार्म नं० 6 की प्रति के श्रीमान् डी.ओ. एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी अलवर को जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की। जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
9. यह है कि उक्त घी (सरस) के नमूने की जांच रिपोर्ट उक्त विक्रेता को कार्यालय के रजिस्टर्ड पत्र क्रमांक 157 दिनांक 06.03.2024 द्वारा भिजवायी गयी एवं मुझे जरिये श्रीमान् डी. ओ. एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी अलवर के उक्त पत्र की प्रतिलिपि के द्वारा प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त नमूना एफएसएसए के मानकों के अनुसार नहीं होने से अवमानक खाद्य पदार्थ एवं बाहरी वसा की उपस्थिति के कारण एफएसएसए विक्रय प्रतिषेध एवं निबंधन रेगुलेशन 2011 के रेगुलेशन नं. 2.3.7(2) के उल्लंघन युक्त खाद्य पदार्थ (Substandard Food & Contravention regulation No- 2.3.7(2) of FS&S (Prohibition & Restriction on sale) Regulation 2011 due to Presence of Foreign fat) होना पाया गया है। जांच रिपोर्ट मय कवरिंग पत्र श्रीमान् डी.ओ. एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी अलवर न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
10. यह है कि कार्यालय पत्रांक 446 दिनांक 31.05.2024 एवं पत्रांक 513 दिनांक 19.06.2024 द्वारा फर्म से सम्बन्धित जानकारी चाही गयी जिसपर उनके प्रतिउत्तर पत्र द्वारा उक्त माल का बिल नहीं होना जाहिर किया। उक्त पत्रांक एवं प्रतिउत्तर पत्र न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
11. यह है कि मेरे द्वारा प्रकरण से संबंधित समस्त दस्तावेज श्रीमान् अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर को वास्ते अग्रिम आदेश हेतु पेश किये जिन्होंने प्रकरण के समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर एवं अध्ययन मनन कर अपने अभियोजन स्वीकृति पत्रांक 74 दिनांक 28.8.24 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण मे न्यायनिर्णयन आवेदन श्रीमान् के समक्ष पेश करने हेतु प्राधिकृत किया है। उक्त अभियोजन स्वीकृति पत्रांक न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।


अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

12. यह है कि उक्त अभियुक्त द्वारा अवमानक खाद्य पदार्थ एवं बाहरी वसा की उपस्थिति के कारण एफएसएसए विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बंधन रेगुलेशन 2011 के रेगुलेशन नं. 2.3.7(2) के उल्लंघन युक्त खाद्य पदार्थ (Substandard Food & Contravention regulation No- 2.3.7(2) of FS&S (Prohibition & Restriction on sale) Regulation 2011 due to Presence of Foreign fat) घी (सरस) की बिक्री कर एफएसएसए 2006 की धारा 26 (2)(ii), 26 (2)(v) एवं नियम व विनियम 2011 का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51, 58 में वर्णित है। अतः उपरोक्त आवेदन श्रीमान के समक्ष पेश कर निवेदन है कि उक्त अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने से दण्डित किया जावे।
13. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। बाद तामिल अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद गोठवाल ने यूटी दी। अप्रार्थी एवं अप्रार्थी अधिवक्ता को वास्ते वकालतनामा एवं जबाब पेश करने हेतु अवसर दिया गया। अप्रार्थी एवं अप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित नहीं आने पर इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण को बहस हेतु नियत किया गया।
14. प्रार्थी पक्ष की ओर से उपस्थित सरकार पैरोकार की बहस सुनी गई। बहस पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अवमानक खाद्य पदार्थ एवं बाहरी वसा की उपस्थिति के कारण एफएसएसए विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बंधन रेगुलेशन 2011 के रेगुलेशन नं. 2.3.7(2) के उल्लंघन युक्त खाद्य पदार्थ घी (सरस) का विक्रय करके अप्रार्थी ने खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है इसलिए अप्रार्थी को खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 एवं 58 में दण्डित किया जावे।
15. पत्रावली पर पैरोकार सरकार को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात से यह साफ जाहिर है कि अप्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अवमानक खाद्य पदार्थ एवं बाहरी वसा की उपस्थिति के कारण एफएसएसए विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बंधन रेगुलेशन 2011 के रेगुलेशन नं. 2.3.7(2) के उल्लंघन युक्त खाद्य पदार्थ (Substandard Food & Contravention regulation No- 2.3.7(2) of FS&S (Prohibition & Restriction on sale) Regulation 2011 due to Presence of Foreign fat) घी (सरस) की बिक्री कर खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। अप्रार्थी की ओर से इस संबंध में कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत नहीं हुये है, जिससे यह साबित हो सके कि उसके द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया हो एवं अप्रार्थी एवं अप्रार्थी अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित भी नहीं हुये। अतः उक्त कृत्य के लिए अभियुक्त को अधिनियम की धारा 51 एवं 58 के तहत दण्डित किया जाना न्याय संगत प्रतीत होता है। अतः अभियुक्त/अप्रार्थी श्री संतराम पुत्र श्री रतिराम, उम्र 28 वर्ष (खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता) मैसर्स-श्री श्याम सरस एजेन्सी, मैन चौराहा, बहरोड, जिला


अति. जिल्हा कलक्टर

पत्रावली (कोटपूतली-बहरोड)

रेवाडी, हरियाणा, निवासी ग्रा० रिवाली, पो० रिवाली, बहरोड़ पर 25/04/2018
.....शास्ति आरोपित की जाती है, जो जरिये चालान एक माह के अन्दर बैंक में
जमा कराकर रसीद चालान पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर
दाखिल दफतर हों।
यह निर्णय आज दिनांक 20.4.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास में
सुनाया गया।


न्याय निर्णायक अधिकारी
अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली

9

A